

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 13 अप्रैल, 2018

संख्या-1/सी0-1014/2017-सा0प्र0-5105/लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण (फेज-I) के व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष, 2017 बैच के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को उनके द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदभार ग्रहण की तिथि से जिला प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के समक्ष अंकित जिला में सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	पदस्थापन से संबंधित जिला
1	श्री तनय सुल्तानिया	पटना
2	सुश्री अभिलाषा शर्मा	नालंदा
3	श्री तरनजोत सिंह	भागलपुर
4	श्री आरिफ अहसन	पश्चिम चम्पारण
5	श्री विवेक रंजन मैत्रेय	दरभंगा
6	श्री कुमार गौरव	मधुबनी
7	श्री योगेश कुमार सागर	गया
8	श्री विशाल राज	मुजफ्फरपुर
9	श्री अनिल कुमार	पूर्णिया

2. साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपर्युक्त पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्त किया जाता है। इन सभी पदाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 के अंतर्गत भी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ई-मेल / फैंक्स

ज्ञापांक:-1/सी0-1014/2017-सा0प्र0-5105/पटना-15, दिनांक: 13 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा- आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/ निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/श्री सी0 श्रीधर, उप निदेशक (वरि.) प्रभारी-प्रशासन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी-248179(उत्तराखंड)(फैंक्स-0135-2632350/ई-मेल-adminsec.lbsnaa@nic.in)/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित परीक्ष्यमान पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।